अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग ने पहले यह निश्चय किया था कि वेतन निर्धारण के प्रयोजन से सामान्य वेतन वृद्धि के साथ–साथ स्टैगनेशन वेतन वृद्धि, जहां कहीं भी लागू है, डीपीई के अनुमोदित वेतनमानों (1997 के वेतनमान) के अनुसार वेतन वृद्धि के निर्धारित घटक को बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों के वेतन निर्धारण के सभी मामलों में शामिल किया जाएगा। इस विभाग को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि, विशेष रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्धारित घटक की तुलना में प्रतिशत के लाभ (जहां सक्षम प्राधिकारी ने 1997 के वेतन संशोधन में इसका प्रावधान किया था), के साथ बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों के वेतन के पुनर्निधारण हेतु अनुरोध/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

2. डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के अंतर्गत यथा विहित विसंगति समिति ने इन मुद्दों पर विचार किया। विसंगति समिति की सिफारिशों के आधार पर अब यह निश्चय किया गया है कि :

(i) चूंकि विशेष सीपीएसई को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1997 के वेतन संशोधन की अवधि के दौरान प्रतिशत पर आधारित वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई थी, अतः निर्धारित घटकों के आधार पर नोशनल वेतन वृद्धि और स्टैगनेशन वेतन वृद्धि पर विचार करना उचित नहीं होगा।

(ii) स्टैगनेशन वेतन वृद्धि के लिए वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने के पश्चात दो वर्षों में एक बार और अधिकतम तीन बार ही स्वीकृत की जा सकती है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (51)/2010–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XI**/2011, दिनांक 03 जून 2011)

*****